2015/00095

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज०

अनवान– हरविन्द्रसिंह पुत्र मगत सिंह बनाम दर्शनसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर 241/2015

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियल जज	हुक्म तारीख व तामिल
15/05/15	आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मौका की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द फरमाया जावे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण विवादित रकबा चक 39 जी0बी0 का प0न0 206/426 का मु0न0 3 का किला न0 5, 1 ता 4, 6, 7, 8/2, 16/2, 25 का 2.024 हैक्टर, प0न0 205/427 का मु0न0 27 का किला न0 11 ता 25 में वादी के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत पैदा करने से बाज व ममून रहे व मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति आईन्दा तारीख पेशी तक बनाये रखे। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/06/2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	(हस्ताक्षर)
16/6/15	हाजरी पुकार। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी 1/2/3 की ओर से श्री [illegible] वकील उप०। शेष अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं बाद इन्तजार [illegible] आइन्दा 13/7/2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
[illegible].19	पत्रावली पेश। [illegible] 320, [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक [illegible].19 को पेश हो। Priyanka	
13.6.19	पत्रावली पेश। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली दिनांक 20.8.19 को पेश हो। Priyanka	
04/7/19	आज यह पत्रावली [illegible] पर मूल वाद का निर्णय करने पर प्राप्त की गयी। वादी [illegible] उपस्थित होकर मूल वाद [illegible] निर्णय कर दिया है। अतः इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली में कार्यवाही पूर्ण कर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Priyanka अ. जिला कलेक्टर श्रीविजयनगर	इन्द्रजीत सिंह [illegible] 5.7.19